30 मार्च 2024

TOPICS COVERED

1. **भारत के साथ 'शांति सूत्र' पर चर्चा की: यूक्रेन के विदेश मंत्री (GS PAPER II: IR)**
2. **सरकार ने एनजीओ के एफसीआरए पंजीकरण की वैधता 30 जून तक बढ़ा दी है (GS PAPER II: GOVERNANCE)**
3. **विकलांग व्यक्तियों के लिए फिल्में सुलभ बनाने के लिए मानदंड अधिसूचित करें: एचसी GS PAPER II: VULNERABLE SECTIONS OF SOCIETY)**
4. **बांड, बड़ा पैसा और अपूर्ण लोकतंत्र (GS PAPER II: चुनाव)**
5. **एक संतुलन अधिनियम: राजकोषीय घाटे के लक्ष्य पर (GS PAPER III: राजकोषीय घाटा)**
6. **थकान से उड़ान: डीजीसीए और उड़ान ड्यूटी समय सीमा मानदंडों पर (GS PAPER II: नियामक प्राधिकरण)**
7. **मानव-कुत्ते का रिश्ता, संघर्ष और सह-अस्तित्व (GS PAPER III: पर्यावरण)**
8. **पश्चिम बंगाल में पहचान, राज्य का दर्जा और नागरिकता की पहेली (GS PAPER II: नागरिकता)**
9. **भारत की सबसे बड़ी जेलब्रेक के बाद (GS PAPER III: आंतरिक सुरक्षा)**
10. **कुट्टनाड आर्द्रभूमि में जल संकट (GS PAPER III: आपदा प्रबंधन)**
11. **GeM कार्य अनुबंध की पेशकश कर सकता है' (GS PAPER III: डिजिटल मार्केट)**

भारत के साथ 'शांति सूत्र' पर चर्चा की: यूक्रेन के विदेश मंत्री (GS PAPER II: IR)

- भारत और यूक्रेन रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष के लिए "शांति सूत्र" के संबंध में चर्चा में लगे हुए हैं।
- **यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने** दो दिवसीय यात्रा के लिए भारत का दौरा किया और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की।
- कुलेबा ने रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष को "पूर्ण पैमाने पर युद्ध" बताया और नई परियोजनाओं के साथ भारत-यूक्रेन संबंधों को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
- कुलेबा और जयशंकर के बीच चर्चा द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय स्थितियों और वैश्विक सुरक्षा पर केंद्रित रही, जिसमें शांति सूत्र और उसके कार्यान्वयन पर विशेष ध्यान दिया गया।
- कुलेबा ने भारत से स्विट्जरलैंड में आगामी शांति प्रक्रिया में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया ।

'संबंधों में गति'

- भारत ने संकट की शुरुआत से ही यूक्रेन और रूस दोनों के साथ-साथ अन्य हितधारकों के साथ संचार बनाए रखा है।

'वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन'

- श्री कुलेबा के शांति फार्मूले के उल्लेख ने ध्यान आकर्षित किया है क्योंकि संघर्ष को हल करने के उद्देश्य से एक 'वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन' जल्द ही स्विट्जरलैंड में आयोजित होने की उम्मीद है।
- उन्होंने पहले भारत से अन्य प्रमुख देशों के साथ शिखर सम्मेलन में भाग लेने का आग्रह किया था।

PatriotICIAS

- हालाँकि, शिखर सम्मेलन की संभावनाओं को तब झटका लगा जब रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने मास्को की भागीदारी की संभावना को खारिज कर दिया।
- ज़खारोवा ने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के शांति सूत्र को "कीमिया" कहा। इसके प्रति संदेह का संकेत दे रहा है।
- ज़ेलेंस्की ने 2022 जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान 10-सूत्रीय शांति योजना प्रस्तुत की, जिसमें 1991 की सीमाओं से रूसी सेना की पूर्ण वापसी का आह्वान किया गया, जिसे मॉस्को ने तुरंत अस्वीकार कर दिया।
- रूस को लगता है कि ज़ेलेंस्की का शांति फॉर्मूला रूसी चिंताओं का समाधान नहीं करता है।
- स्विस समर्थित शांति प्रक्रिया से दोनों स्थितियों के बीच समाधान खोजने में सुविधा होने की उम्मीद है।
- हालाँकि, स्विस-आयोजित कार्यक्रम का सटीक समय अनिश्चित है, राजनयिक सूत्रों ने इसे संभव बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर चल रही चर्चा का संकेत दिया है।

'व्यापक वार्ता'

- भारतीय पक्ष ने श्री कुलेबा द्वारा उल्लिखित यूक्रेनी शांति सूत्र के बारे में विवरण नहीं दिया।
- इसके बजाय, उन्होंने संकेत दिया कि शुक्रवार की चर्चा में चल रहे संघर्ष और शांतिपूर्ण समाधान प्राप्त करने के प्रयासों के संबंध में एक व्यापक बातचीत शामिल थी।
- श्री कुलेबा ने भारत और यूक्रेन के बीच सहयोग के स्तर को पूर्ण पैमाने पर युद्ध से पहले के स्तर पर बहाल करने के लिए एक समझौते का उल्लेख किया।

सरकार ने एनजीओ के एफसीआरए पंजीकरण की वैधता 30 जून तक बढ़ा दी है (GS PAPER II: GOVERNANCE)

कई गैर सरकारी संगठनों के पंजीकरण 29 सितंबर, 2020 से नवीनीकरण के लिए हैं। विदेशी धन प्राप्त करने के लिए अनिवार्य पंजीकरण, हर पांच साल में नवीनीकृत किया जाता है

- मंत्रालय (एमएचए) ने गैर सरकारी संगठनों के लिए विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) पंजीकरण की वैधता बढ़ा दी है और एसोसिएशन 30 जून तक।
- 29 सितंबर, 2020 से कई एनजीओ के पंजीकरण का नवीनीकरण होना था।
- गैर सरकारी संगठनों को विदेशी धन प्राप्त करने के लिए एफसीआरए पंजीकरण आवश्यक है और इसे हर पांच साल में नवीनीकृत किया जाता है।
- मंत्रालय ने आवेदनों के प्रसंस्करण में देरी के कारण 2020 से एनजीओ पंजीकरण की वैधता को कम से कम नौ बार बढ़ाया है।
- एमएचए के एक आदेश में कहा गया है कि 31 मार्च तक बढ़ाई गई संस्थाओं के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्रों की वैधता अब 30 जून, 2024 तक या नवीनीकरण आवेदन संसाधित होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ा दी जाएगी।
- आदेश निर्दिष्ट करता है कि यदि एफसीआरए पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है, तो प्रमाणपत्र की वैधता इनकार की तारीख से समाप्त मानी जाएगी।
- ऐसे मामलों में, एसोसिएशन या एनजीओ विदेशी योगदान प्राप्त करने या उसका उपयोग करने के पात्र नहीं होंगे।
- 1 अप्रैल से 30 जून, 2024 के बीच पंजीकरण समाप्त होने वाली एफसीआरए इकाइयां, और जिन्होंने समाप्ति से पहले नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था, उनकी वैधता 30 जून तक या नवीनीकरण आवेदन संसाधित होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ा दी जाएगी।

- **लगभग 6,000 एनजीओ का एफसीआरए पंजीकरण 1 जनवरी, 2022 से बंद हो गया था, क्योंकि या तो उनके नवीनीकरण आवेदन एमएचए द्वारा अस्वीकार कर दिए गए थे या उन्होंने नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया था।**
- **नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 16,412 एफसीआरए-पंजीकृत एनजीओ हैं, जो 31 दिसंबर, 2021 को 22,000 से अधिक थे** ।

विकलांग व्यक्तियों के लिए फिल्में सुलभ बनाने के लिए मानदंड अधिसूचित करें: एचसी (GS PAPER II: VULNERABLE SECTIONS OF SOCIETY)

- दिल्ली उच्च न्यायालय ने श्रवण और दृश्य विकलांगता वाले लोगों के लिए फिल्मों को सुलभ बनाने के लिए दिशानिर्देश जारी करने के लिए भारत सरकार को 15 जुलाई तक का समय दिया है।
- अदालत **ने इस बात पर जोर दिया कि पहुंच एक कानूनी अधिकार है और निजी पक्षों को भी विकलांग व्यक्तियों के लिए पहुंच बढ़ाने के लिए उचित उपाय करने चाहिए** ।
- सूचना **और प्रसारण मंत्रालय ने श्रवण और दृश्य विकलांगता वाले लोगों के लिए सिनेमाघरों में पहुंच मानकों के लिए दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार किया है** , जिन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है।
- अदालत ने मंत्रालय को 15 जुलाई, 2024 तक दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने और अधिसूचित करने का निर्देश दिया।
- इन दिशानिर्देशों से अपेक्षा की जाती है कि वे पहुंच संबंधी सुविधाओं को अनिवार्य बना देंगे और सभी हितधारकों के लिए उचित अनुपालन अवधि प्रदान करेंगे।
- दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश दृश्य और श्रवण विकलांगता वाले चार व्यक्तियों द्वारा दायर एक याचिका पर आधारित था।
- याचिकाकर्ताओं ने विकलांग **व्यक्तियों के अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम के अस्तित्व के बावजूद पहुंच की कमी को उजागर करते हुए विकलांग लोगों के लिए फिल्मों को सुलभ बनाने के निर्देश देने का अनुरोध किया।**
- उन्होंने बताया कि आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, जो पांच साल पहले लागू किया गया था, विकलांग व्यक्तियों के लिए विभिन्न अधिकारों को मान्यता देता है, फिर भी भारत में रिलीज़ होने वाली अधिकांश फिल्में उन्हें पूरा नहीं करती हैं।
- अक्टूबर 2019 में, **मंत्रालय ने पहुंच में सुधार के लिए सभी फिल्मों में ऑडियो विवरण, उपशीर्षक और बंद कैप्शन को शामिल करने के लिए फिल्म निर्माता संघ और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को निर्देश जारी किए** ।

बांड, बड़ा पैसा और अपूर्ण लोकतंत्र (GS PAPER II: चुनाव)

एक अच्छी तरह से काम कर रहे लोकतंत्र में, चुनाव लड़ने के लिए न तो अत्यधिक धन की आवश्यकता होगी और न ही गुप्त रूप से चुनावी बांड खरीदने की आवश्यकता होगी।

- चुनावों में काले धन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से चुनावी बांड योजना को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया था।
- अपने इरादों के बावजूद, यह योजना राजनीति में अवैध धन के प्रवाह को रोकने में विफल रही।
- भारत में चुनावों को अवैध धन की बढ़ती मात्रा से वित्त पोषित किया जा रहा है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमजोर हो रही है।

दावा किए गए और वास्तविक के बीच का अंतर

- घोषित इरादों और वास्तविक परिणामों के बीच का अंतर भारतीय राजनीति में एक गहरे मुद्दे को उजागर करता है।
- भारतीय राजनीति औपचारिकतावादी हो गई है, जिसमें निर्वाचित नेता अपने मतदाताओं के बजाय अपने वित्तपोषकों के हितों की सेवा कर रहे हैं।
- घोषित आदर्शों और वास्तविक प्रथाओं के बीच यह अलगाव लोकतंत्र को कमजोर करता है।
- सरकारी नीतियां अक्सर व्यापक आबादी के बजाय निहित स्वार्थों की पूर्ति करती हैं, जिससे असमानताएं बढ़ती हैं।
- निहित स्वार्थों को अक्सर हाशिए पर रहने वाले समुदायों की जरूरतों को दरकिनार करते हुए राष्ट्रीय हित में चित्रित किया जाता है।
- उदाहरण के लिए, यदि गरीबी, बेरोजगारी, खराब स्वास्थ्य और खराब शैक्षिक मानक बने रहते हैं, तो इन्हें प्राकृतिक कहा जाता है और इन्हें बाजार की ताकतों पर छोड़ दिया जाता है।
- बाज़ार के माध्यम से सेवाएँ प्रदान करने के लिए व्यवसायों को दी गई रियायतें असमानताओं को बढ़ाती हैं और आवश्यक सेवाओं को गरीबों के लिए अप्राप्य बना देती हैं।
- अपर्याप्त सार्वजनिक सेवाएं कमजोर समुदायों को और अधिक हाशिये पर धकेल देती हैं, जैसा कि शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (एएसईआर) में कम साक्षरता और संख्यात्मकता दर (14 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के 40% बच्चे पढ़ने, लिखने या करने में असमर्थ हैं) को दर्शाया गया है। बच्चों के बीच कक्षा दो के गणित की)
- विकास के टॉप-डाउन मॉडल के कारण शिक्षा को उच्च प्राथमिकता नहीं मिलती है, जहां संसाधनों का उपयोग अभिजात वर्ग द्वारा किया जाता है।
- व्यवसाय, कानूनी रूप से प्राप्त लाभ से संतुष्ट नहीं होने पर, अघोषित आय का उपयोग करके अवैध रूप से कमाई करने का सहारा लेते हैं जो काली अर्थव्यवस्था का गठन करती है।
- आय सृजन में अवैधता व्यवस्थित और प्रणालीगत है, जिसमें अक्सर नीति निर्माता और अधिकारी शामिल होते हैं।
- सरकारी कर्मियों के बीच कमजोर जवाबदेही लोकतंत्र को कमजोर करती है और सत्ता को चुनौती देने के बजाय उसके सामने झुकने की सामंती मानसिकता को मजबूत करती है।
- लोकतंत्र को कायम रखने के लिए बनी संस्थाओं में यह कमज़ोर जवाबदेही स्पष्ट है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और खोखला कर रही है।

पैसा और चुनाव

- **चुनावों के दौरान, मतदाता अक्सर उम्मीदवार के प्रदर्शन के बजाय जाति, समुदाय और क्षेत्र जैसे कारकों पर अपना निर्णय लेते हैं।**
- राजनीतिक दल विशिष्ट जनसांख्यिकीय समूहों को लक्षित करके और **वोट बैंक विकसित करके अपने अभियानों की रणनीति बनाते हैं** इन कारकों के आधार पर.
- चुनावों से ठीक पहले, अपने वोट सुरक्षित करने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा अक्सर मतदाताओं को रिश्वत दी जाती है।
- प्रचार प्रयासों में रैलियों और बैठकों के लिए भीड़ जुटाने के लिए वेतनभोगी कार्यकर्ताओं को नियुक्त करना, उपस्थित लोगों को परिवहन और भोजन प्रदान करना शामिल है।
- बड़े पैमाने की रैलियों के लिए पोस्टर, कटआउट, बाहुबलियों को काम पर रखने और मीडिया को संतुष्ट रखने के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता होती है।
- **चुनाव अभियानों के लिए वास्तविक खर्च चुनाव अधिकारियों द्वारा निर्धारित अनुमत सीमा से कहीं अधिक है, जो आम तौर पर एक संसदीय क्षेत्र के लिए लगभग ₹95 लाख है** ।
- अनुमान बताते हैं कि एक बड़े संसदीय क्षेत्र के लिए अभियानों के लिए **₹50 करोड़ तक की आवश्यकता हो सकती है** , जिसके परिणामस्वरूप अनुमत और वास्तविक व्यय के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर हो सकता है।

Politics IAS

- इन लागतों को कवर करने के लिए, उम्मीदवार और राजनीतिक दल अक्सर अवैध धन पर भरोसा करते हैं, जो भारतीय चुनावों में अवैध धन के व्यापक प्रभाव को उजागर करता है।
- चुनावी बांड योजना राजनीतिक दलों को वैध धन प्रदान करने और अवैध स्रोतों पर उनकी निर्भरता को कम करने के लिए शुरू की गई थी।
- हालाँकि, योजना की अपारदर्शिता के कारण आलोचना हुई, क्योंकि इसमें दानदाताओं की पहचान और उनके योगदान के पीछे के कारणों को छुपाया गया था।
- **आलोचकों ने तर्क दिया कि इस योजना ने सफेद रंग में रिश्वतखोरी को बढ़ावा दिया, जिससे व्यवसायों और अमीरों को राजनीति पर अधिक प्रभाव डालने की अनुमति मिली।**
- चुनावी बांड केवल राजनीतिक दलों को जारी किए जा सकते हैं, जिससे व्यक्ति अभी भी अवैध धन पर निर्भर रहेंगे।
- **राजनीतिक दल चुनाव के अलावा विभिन्न उद्देश्यों के लिए धन का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कार्यालय स्थापित करना या विपक्ष के नेतृत्व वाली सरकारों को कमजोर करना।**
- **घाटे में चल रही कंपनियों सहित असीमित योगदान के लिए 7.5% लाभ सीमा को हटाने की अनुमति दी** गई ।
- **शेल कंपनियों का इस्तेमाल दान देने के लिए किया जा सकता है, जिससे संभावित रूप से विदेशी संस्थाएं भारतीय राजनीति को प्रभावित कर सकेंगी** ।
- **15 दिनों के भीतर बांड भुनाने की आवश्यकता के बावजूद, उनका कारोबार 14 दिनों तक किया जा सकता है, जिससे धन का पता और दानदाताओं की पहचान अस्पष्ट हो जाती है।**
- कई दानदाता इस बात से अनजान थे कि अगर चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया तो उनकी पहचान उजागर हो जाएगी।
- **अनुभवी दानदाताओं ने शेल कंपनियों का उपयोग करके या नकद दान देकर अपने ट्रैक छुपाए, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके नाम अज्ञात रहें।**
- चुनावी बांड योजना के अस्तित्व के बावजूद, काले धन के माध्यम से योगदान राजनीतिक दलों के लिए धन का प्राथमिक स्रोत बना हुआ है।

भाईचारा उजागर हुआ

- चुनावी बांड केवल राजनीतिक दलों की फंडिंग के लिए एक अतिरिक्त माध्यम के रूप में काम करते हैं, जो उनकी कुल फंडिंग आवश्यकता का एक अंश होता है।
- हाल के आंकड़ों से भारतीय राजनीति और चुनावों की प्रकृति का पता चलता है, जिससे पता चलता है कि राजनीतिक दलों को विभिन्न कारणों से धन दिया गया था:
  - अनुग्रह के लिए .
  - गलत कार्य के लिए अभियोजन से बचने के लिए.
  - भविष्य के लिए एक निवेश के रूप में, यहां तक कि उन राजनीतिक दलों के लिए भी जो सत्ता में नहीं हैं।
- उपकार के लिए दान से नीति कार्यान्वयन में तरजीही व्यवहार हो सकता है, जैसे पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करना या अनुबंध हासिल करना।
- दूसरी श्रेणी में, व्यवसाय प्रवर्तन निदेशालय जैसी एजेंसियों के नतीजों या उत्पीड़न का सामना करने के डर से राजनीतिक दलों को दान दे सकते हैं।
- **जटिल नियम और विनियम व्यवसायों के लिए अनजाने में कानूनों का उल्लंघन करना आसान बनाते हैं, जिससे संभावित मुकदमा चलाया जा सकता है।**
- **कुछ व्यवसाय केवल उत्पीड़न या दबाव से बचने के लिए दान कर सकते हैं, भले ही वे किसी गलत काम में शामिल न हों।**
- भारतीय स्टेट बैंक का डेटा कुछ दान से जुड़े बदले की भावना के उदाहरणों को इंगित करता है, जो राजनीतिक योगदान और नीति हेरफेर के बीच एक संबंध का सुझाव देता है।

Patriotic IAS

- डेटा के आगे के विश्लेषण से **मनी ट्रेल का पता चल सकता है और आपराधिक गतिविधियों का पर्दाफाश हो सकता है** ।
- **जवाबदेह राजनीतिक नेतृत्व वाले एक अच्छी तरह से कार्यशील लोकतंत्र में, चुनावों के लिए महत्वपूर्ण धन या चुनावी बांड की गोपनीयता की आवश्यकता नहीं होगी।**
- चुनावी **बांड योजना भारतीय लोकतंत्र में बढ़ती कमजोरियों को रेखांकित करती है** , क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि इसे विपक्ष को कमजोर करने और लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

अरुण कुमार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के सेवानिवृत्त प्रोफेसर और 'अंडरस्टैंडिंग द ब्लैक इकोनॉमी एंड ब्लैक मनी इन इंडिया' (2017) के लेखक हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न: GS PAPER II: Electoral System

सवाल: चुनावी बांड योजना भारतीय लोकतंत्र में बढ़ती कमजोरियों को रेखांकित करती है। विश्लेषण। (250 शब्द/15 अंक)

उत्तर दृष्टिकोण:

- चुनावी बांड योजना के अपेक्षित लाभों के साथ उत्तर का परिचय दें।
- फिर चुनावी बांड योजना की विरासत में मिली कमज़ोरियों को सामने लाएँ।
- आगे की कड़ी में उन कमज़ोरियों का भारतीय लोकतंत्र पर प्रभाव।
- भारतीय चुनाव प्रणाली में आवश्यक चुनाव सुधारों पर प्रकाश डालते हुए निष्कर्ष निकालें।

उत्तर:

चुनावी बांड योजना, जिसका उद्देश्य राजनीतिक दलों को वैध धन उपलब्ध कराना था, पारदर्शिता से संबंधित चिंताओं को दूर करने में विफल रही। दानदाताओं की गुमनामी और उनके उद्देश्य, चाहे वैध हों या अवैध, छिपे रहे, जिससे मतदाताओं के प्रति राजनीतिक दलों की जवाबदेही कम हो गई। भारतीय चुनावों में काले धन के प्रभाव को रोकने के समाधान के रूप में प्रचारित चुनावी बांड योजना ने अंततः देश के लोकतांत्रिक ढांचे में गहरी कमजोरियों को उजागर किया है।

- **अवैध धन पर निरंतर निर्भरता:** चुनावी बांड की शुरुआत के बावजूद, राजनीतिक दल अपने चुनावी अभियानों के लिए अवैध धन पर भारी निर्भर रहे। इसने भ्रष्टाचार के चक्र को कायम रखा और चुनावी प्रक्रिया की अखंडता से समझौता किया।
- **घोषित और वास्तविक लोकतंत्र के बीच अंतर** : निहित स्वार्थों के प्रभुत्व और राजनीतिक बयानबाजी और वास्तविकता के बीच अलगाव की विशेषता वाली भारतीय राजनीति, लोकतंत्र के कथित आदर्शों और उनके कार्यान्वयन के बीच एक बुनियादी अंतर को रेखांकित करती है।
- निर्वाचित नेता अक्सर मतदाताओं के हितों की तुलना में अपने वित्तपोषकों के हितों को प्राथमिकता देते हैं, जिससे लोकतांत्रिक शासन का सार नष्ट हो जाता है।
- **चुनावों में धन का प्रभाव** : भारत में चुनावी प्रक्रिया तेजी से एक युद्ध का मैदान बन गई है जहां वित्तीय संसाधन चुनावी परिणामों को निर्धारित करते हैं। पार्टियाँ व्यापक अभियान चलाने के लिए अवैध तरीकों से धन जुटाने का सहारा लेती हैं, जिससे चुनावी परिदृश्य समृद्ध और शक्तिशाली लोगों के पक्ष में झुक जाता है।
- **जवाबदेही का अभाव** : राजनीतिक व्यवस्था के भीतर कमजोर जवाबदेही तंत्र चुनावी धन के दुरुपयोग सहित भ्रष्ट प्रथाओं को कायम रखने में सक्षम बनाता है। कड़े नियमों और प्रवर्तन उपायों की अनुपस्थिति राजनीतिक अभिनेताओं को दण्ड से मुक्ति के साथ काम करने की अनुमति देती है, जिससे लोकतांत्रिक संस्थानों में नागरिकों का विश्वास कम हो जाता है।

PatheticIAS

- **क्रोनीवाद और नीतिगत हेराफेरी** : राजनीतिक फंडिंग और नीति निर्माण के बीच सांठगांठ क्रोनी पूंजीवाद की व्यापकता को उजागर करती है, जहां व्यवसाय वित्तीय योगदान के बदले नीति निर्माताओं से अनुग्रह चाहते हैं।
- यह निष्पक्षता, निष्पक्षता और जनहित शासन के लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कमजोर करता है।
- **विपक्ष और लोकतांत्रिक मूल्यों का क्षरण:** चुनावी बांड योजना ने स्थापित राजनीतिक दलों के प्रभुत्व को कायम रखते हुए और विपक्षी आवाज़ों की भूमिका को कम करके, लोकतांत्रिक मूल्यों और बहुलवाद के क्षरण में योगदान दिया है।
- इसने सत्ता के संकेंद्रण को और मजबूत किया है और देश के लोकतांत्रिक ताने-बाने को कमजोर किया है।

इस प्रकार, चुनावी बांड योजना ने भारतीय लोकतंत्र में अंतर्निहित कमजोरियों को संबोधित करने के बजाय, काले धन के प्रभाव को कायम रखते हुए, पारदर्शिता को कम करके और जनता के विश्वास को कम करके उन्हें और बढ़ा दिया है। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए व्यापक चुनाव सुधारों की तत्काल आवश्यकता है जो पारदर्शिता, जवाबदेही और न्यायसंगत राजनीतिक भागीदारी को प्राथमिकता दें। केवल ऐसे उपायों के माध्यम से ही भारत लोकतांत्रिक शासन के वास्तविक सार को पुनः प्राप्त कर सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि राजनीतिक प्रक्रिया में उसके नागरिकों की आवाज़ सुनी जाए और उनका सम्मान किया जाए।

एक संतुलन अधिनियम: राजकोषीय घाटे के लक्ष्य पर (GS PAPER III: राजकोषीय घाटा)

फरवरी में बढ़ोतरी के बावजूद साल का राजकोषीय घाटा लक्ष्य हासिल किया जा सकता है

- केंद्र का राजकोषीय घाटा, जो उसके राजस्व और व्यय के बीच का अंतर है, तेजी से बढ़ गया है।
- यह जनवरी में लगभग ₹11 लाख करोड़ से बढ़कर फरवरी के अंत तक ₹15 लाख करोड़ हो गया।
- यह केवल 29 दिनों के भीतर ₹17.3 लाख करोड़ के संशोधित लक्ष्य के 63.6% से 86.5% तक की महत्वपूर्ण छलांग दर्शाता है।
- इसकी तुलना में, पिछले साल का प्रक्षेपवक्र आसान था: घाटे का लक्ष्य ₹17.55 लाख करोड़ था, जो जनवरी तक लक्ष्य का 67.6% और फरवरी तक 82.6% तक पहुंच गया।
- आख़िरकार, पिछले साल का राजकोषीय घाटा ₹17.33 लाख करोड़ था, जो इस साल के लक्ष्य के लगभग समान था।
- फरवरी घाटे में वृद्धि का एक कारण केंद्र द्वारा राज्यों को लगभग ₹2.15 लाख करोड़ हस्तांतरित करना है, जबकि पिछले वर्ष यह ₹1.4 लाख करोड़ था।
- एक अन्य कारक पूंजीगत व्यय में जनवरी में ₹47,600 करोड़ से फरवरी में ₹84,400 करोड़ तक महत्वपूर्ण वृद्धि है, जो फरवरी 2023 के पूंजीगत व्यय परिव्यय के चार गुना से अधिक है।
- सरकार के ₹10 लाख करोड़ के लक्ष्य को पूरा करने के लिए, मार्च में पूंजीगत व्यय को ₹1.4 लाख करोड़ तक बढ़ाने की आवश्यकता होगी।
- हालाँकि, मार्च के मध्य में लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने से यह खर्च कम हो सकता है।

राजकोषीय घाटा

- **परिभाषा:** राजकोषीय घाटा उस कमी को मापता है जब सरकार का कुल व्यय उसके कुल राजस्व (उधार से प्राप्त धन को छोड़कर) से अधिक हो जाता है। यह इंगित करता है कि सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितनी राशि उधार लेने की आवश्यकता है।
- **गणना:**
  - **राजकोषीय घाटा = कुल व्यय - (उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियाँ)**
- **महत्व: उच्च राजकोषीय घाटा** व्यापक आर्थिक स्थिरता के लिए संभावित मुद्दों का संकेत देता है। इसमें ले जा सकने की क्षमता है:

PatriotICAS

- मुद्रास्फीति का दबाव
- ब्याज दरों में वृद्धि
- निजी निवेश का बहिर्गमन
- आने वाली पीढ़ियों पर कर्ज का बोझ बढ़ेगा

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003:

- राजकोषीय घाटे को कम करने और राजस्व घाटे को खत्म करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है।
- राजकोषीय मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही को अनिवार्य करता है।
- **हालिया संशोधन:** एफआरबीएम संशोधन अधिनियम, 2023 ने सकल घरेलू उत्पाद के 3% के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने की समय सीमा वित्तीय वर्ष 2029-30 तक बढ़ा दी है।

एफआरबीएम अधिनियम के प्रमुख प्रावधान

- **राजकोषीय घाटे के लक्ष्य:** केंद्र सरकार का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4.5% से नीचे (और 2029-30 तक 3% से भी नीचे) तक कम करना है।
- **राजस्व घाटा लक्ष्य:** इसका उद्देश्य राजस्व घाटे को कम करना और अंततः समाप्त करना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकार अपने **वर्तमान या परिचालन व्यय को निधि देने के लिए उधार नहीं ले रही है** ।
- **ऋण लक्ष्य:** सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में सार्वजनिक ऋण में कमी के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है।
- **राजकोषीय उत्तरदायित्व सिद्धांत:** पारदर्शिता, जवाबदेही और विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन को बढ़ावा देता है
- **पलायन खंड:** राष्ट्रीय सुरक्षा, युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं आदि जैसी असाधारण परिस्थितियों में लक्ष्य से विचलन की अनुमति देता है।

- पिछले साल राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.4% था, जबकि इस साल का मूल लक्ष्य 5.9% था, जिसे अंतरिम बजट में संशोधित कर 5.8% कर दिया गया।
- सरकार का लक्ष्य 2025-26 तक घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4.5% तक सीमित करना है, 2024-25 के लिए 5.1% का लक्ष्य है।
- नई सरकार की प्राथमिकताओं और अर्थव्यवस्था की स्थिति के आधार पर, इस प्रक्षेपवक्र को आम चुनाव के बाद पूर्ण बजट में समायोजन की आवश्यकता हो सकती है।
- **सरकार का लक्ष्य सार्वजनिक पूंजी व्यय के माध्यम से COVID-19 के बाद विकास को प्रोत्साहित करना था, लेकिन उच्च मुद्रास्फीति, खराब मानसून और असमान उपभोग मांग जैसे कारकों के कारण निजी निवेश की उम्मीदें धूमिल हो गई हैं** ।
- फरवरी में नियोजित व्यय संशोधन के बावजूद, **कृषि, ग्रामीण विकास और उपभोक्ता मामलों जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों के पास मार्च के लिए ₹1.03 लाख करोड़ से अधिक शेष थे** ।
- **कुछ मंत्रालय अपने व्यय लक्ष्य से चूक सकते हैं, जिससे संभावित रूप से पूरे वर्ष के घाटे पर सकारात्मक आश्चर्य हो सकता है** ।
- हालाँकि खर्च पर लगाम कसना अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है, लेकिन लगातार खर्च के लक्ष्य चूकने से वांछित परिणाम प्रभावित होते हैं और भविष्य में कम उधार लेने के लिए बेहतर योजना की आवश्यकता का पता चलता है।

थकान से उड़ान: डीजीसीए और उड़ान ड्यूटी समय सीमा मानदंडों पर (GS PAPER II: नियामक प्राधिकरण)

- नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने जनवरी में उड़ान शुल्क समय सीमा (एफडीटीएल) नियमों में बदलाव लाने की योजना बनाई है।
- इन परिवर्तनों का उद्देश्य **पेशेवर और वैज्ञानिक तरीके से पायलटों के बीच थकान की समस्या का समाधान करना था** ।

- प्रस्तावित नियमों में **पायलटों के लिए अधिक आराम का समय तय करना, रात की ड्यूटी को फिर से परिभाषित करना और एयरलाइंस को नियमित थकान रिपोर्ट दाखिल करने की आवश्यकता शामिल है** ।
- नियमों को 1 जून तक लागू किया जाना था।
- हालाँकि, कई भारतीय एयरलाइनों ने, मुख्य रूप से निजी स्वामित्व वाली एयरलाइनों ने, परिवर्तनों का विरोध किया।
- हाल ही में, DGCA ने चुपचाप एक संशोधित **नागरिक उड्डयन आवश्यकताएँ (CAR) दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए,** एयरलाइनों को पुराने नियमों के तहत परिचालन जारी रखने की अनुमति देना जब तक कि उनकी संबंधित अनुपालन योजनाओं को मंजूरी नहीं मिल जाती।
- **इस कदम से पता चलता है कि एयरलाइन अर्थशास्त्र को सुरक्षा चिंताओं पर प्राथमिकता दी गई** ।
- एयरलाइन फेडरेशन ने तर्क दिया कि **नए मानदंडों को लागू करने के लिए दस महीनों में 15% से 25% अधिक पायलटों को नियुक्त करने की आवश्यकता होगी और चरम गर्मी के दौरान उड़ान रद्दीकरण में 20% की वृद्धि हो सकती है** ।
- विमानन विशेषज्ञों का मानना है कि सुरक्षा मानकों को कम करने से पायलटों को थकान संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता रहेगा।
- 1950 के दशक की शुरुआत में, **अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ)** सुरक्षा के लिए उड़ान और ड्यूटी के घंटों को सीमित करने के लिए दिशानिर्देश स्थापित किए गए।
- इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य यह **सुनिश्चित करना था कि थकान से उड़ान संचालन को खतरा न हो** ।
- समय के साथ, विमानन उद्योग में थकान का प्रबंधन विकसित हुआ, खासकर अंतरराष्ट्रीय परिचालन में।
- **थकान जोखिम प्रबंधन प्रणाली (एफआरएमएस)** को अपनाना , **जो थकान को प्रबंधित करने के लिए वैज्ञानिक सिद्धांतों और विमानन शेड्यूलिंग का उपयोग करते हैं** ।
- भारत में DGCA (नागर विमानन महानिदेशालय) भी FRMS को लागू करने की योजना बना रहा है।
- भारतीय **विमानन बाजार उच्च विकास का अनुभव कर रहा है, जिससे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उड़ान में वृद्धि हो रही है** ।
- इस वृद्धि के कारण उड़ान चालक दल की भलाई पर दबाव पड़ा है, विशेष रूप से अल्ट्रा- लंबी दूरी की उड़ानों के बढ़ने और अधिक चौड़े आकार वाले विमानों के शामिल होने से।
- डीजीसीए को उड़ान चालक दल और यात्रियों दोनों के लिए उच्चतम सुरक्षा मानकों के साथ संरेखण सुनिश्चित करते हुए नियामक मानदंडों को लागू करके स्वतंत्रता का प्रदर्शन करना चाहिए।

अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO)

- **संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी:** आईसीएओ अपने 193 सदस्य देशों और उद्योग के साथ अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन **मानकों और अनुशंसित प्रथाओं (एसएआरपी) और नीतियों पर आम सहमति तक पहुंचने के लिए काम करता है ताकि एक सुरक्षित, कुशल, संरक्षित, आर्थिक रूप से टिकाऊ और पर्यावरण की दृष्टि से जिम्मेदार नागरिक उड्डयन का समर्थन किया जा सके। क्षेत्र** ।

महत्वपूर्ण तथ्यों

Pathfinder IAS

- **मुख्यालय: मॉंट्रियल कनाडा**
- **स्थापित: 1944** (अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन पर कन्वेंशन द्वारा, जिसे शिकागो कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है)
- **सदस्यता:** 193 सदस्य देश
- **महासचिव:** जुआन कार्लोस सालाज़ार गोमेज़

महत्वपूर्ण कार्यों

- **मानक और अनुशंसित प्रथाएँ (SARPs) विकसित करता है:** आईसीएओ तकनीकी दिशानिर्देश, नीतियां और विशिष्टताओं का निर्माण करता है जो वैश्विक विमानन प्रणाली को रेखांकित करते हैं।
- **ऑडिट:** वैश्विक मानकों को पूरा करने के लिए सदस्य राज्यों की नियमित **सुरक्षा, सुरक्षा और पर्यावरण ऑडिट आयोजित करता है।**
- **सहयोग को बढ़ावा देता है:** आईसीएओ अंतरराष्ट्रीय विमानन में सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सदस्य राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है।
- **क्षमता निर्माण और सहायता:** सदस्य देशों को उनके विमानन क्षेत्रों को मजबूत करने और वैश्विक मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करता है।
- **डेटा साझाकरण और विश्लेषण:** उद्योग में डेटा-संचालित निर्णय लेने को बढ़ावा देने के लिए विमानन जानकारी के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करता है।

शासन

- **सभा:** हर तीन साल में बैठक होती है। सभी सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। वे नीति निर्धारित करते हैं, बजट को मंजूरी देते हैं और आईसीएओ परिषद का चुनाव करते हैं।
- **परिषद:** विधानसभा द्वारा चुने गए 36 सदस्य राज्यों से बनी। यह शासी निकाय है जो आईसीएओ के काम को निरंतर दिशा देता है।

केंद्र बिंदु के क्षेत्र

- **सुरक्षा**
- **सुरक्षा एवं सुविधा**
- **वायु नेविगेशन क्षमता और दक्षता**
- **हवाई परिवहन का आर्थिक विकास**
- **पर्यावरण संरक्षण**
- **तकनीकी सहयोग**

नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA)

- डीजीसीए एक **वैधानिक निकाय है जो भारत से/भारत के भीतर/भारत के लिए हवाई परिवहन सेवाओं को विनियमित करने और नागरिक हवाई नियमों, हवाई सुरक्षा और उड़ान योग्यता मानकों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।**
- **इसके तहत स्थापित: 1934 का विमान अधिनियम** और भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय को रिपोर्ट करता है।

महत्वपूर्ण कार्यों

- **लाइसेंसिंग: पायलटों, विमान रखरखाव इंजीनियरों, उड़ान संचालन कर्मियों, हवाई यातायात नियंत्रकों और हवाई अड्डों के लिए लाइसेंस और अनुमोदन** जारी करता है ।
- **विनियमन: नागरिक उड्डयन सुरक्षा, सुरक्षा और दक्षता से संबंधित नियमों, मानकों और प्रक्रियाओं को विकसित और लागू करता है**
- **निगरानी एवं निरीक्षण: ऑडिट, निरीक्षण और निगरानी आयोजित करता है** डीजीसीए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए गतिविधियाँ।

PatriotIAS

- **जांच:** विमानन दुर्घटनाओं की जाँच करता है और घटनाओं के कारणों की पहचान करने और सुरक्षा उपायों की सिफारिश करने के लिए।
- **अनुसंधान और विकास:** विमानन सुरक्षा और दक्षता में सुधार के लिए अनुसंधान को बढ़ावा देता है ।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** सर्वोत्तम प्रथाओं और वैश्विक मानकों के साथ तालमेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय विमानन निकायों (जैसे आईसीएओ) के साथ सहयोग करता है।

महत्वपूर्ण तथ्यों

- **मुख्यालय:** नई दिल्ली, भारत
- **महानिदेशक:** अरुण कुमार (2023 तक)
- **क्षेत्रीय कार्यालय:** डीजीसीए के कार्यालय भारत भर के विभिन्न शहरों में हैं, जिनमें मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर और अन्य शामिल हैं।

मानव-कुत्ते का रिश्ता, संघर्ष और सह-अस्तित्व (GS PAPER III: पर्यावरण)

- इंसानों और सड़क के कुत्तों के बीच संघर्ष से जुड़ी परेशान करने वाली कहानियां अक्सर सामने आती रहती हैं।
- इन कहानियों में अक्सर सड़क के कुत्तों द्वारा लोगों, विशेषकर बच्चों पर हमले, या मनुष्यों द्वारा कुत्तों के साथ दुर्व्यवहार के उदाहरण शामिल होते हैं।
- "कुत्ते का ख़तरा" या "आदमी का सबसे अच्छा दोस्त" जैसे आम वाक्यांश इस विषय पर चर्चा पर हावी हैं और जनता और मीडिया का ध्यान खींचते हैं।
- हालाँकि, अधिक जटिल और सूक्ष्म दृष्टिकोणों पर ध्यान देने की कमी है जो मानव-कुत्ते की बातचीत की सामाजिक-पारिस्थितिक गतिशीलता पर विचार करते हैं।
- **व्यवहार और शहरी गतिशीलता में अनुसंधान के धन का उपयोग करना चाहिए** ।
- ऐसा करके, हम इन मुद्दों की अधिक परिष्कृत और एकीकृत समझ विकसित कर सकते हैं।

मानव-कुत्ते की बातचीत

- आरओएच-इंडीज़ (एडिनबर्ग विश्वविद्यालय) द्वारा भारत के विभिन्न हिस्सों में नागरिक-आधारित शोध से पता चलता है कि **लोगों और कुत्तों के बीच अधिकांश बातचीत सामान्य होती है, जैसे कि आकस्मिक भोजन, कभी-कभार प्यार करना या अनदेखा करना।**
- हालाँकि गंभीर झगड़ों को कम नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि हत्या जैसी चरम घटनाएं संपूर्ण मानव-कुत्ते के रिश्ते का संकेत नहीं हैं।
- **मनुष्यों सहित सभी जानवरों की तरह कुत्तों की भी प्रेरणाएँ होती हैं जो हमारे लिए हमेशा स्पष्ट नहीं होती हैं।**
- **कुत्तों को एक ऐसे सजातीय समूह के रूप में देखने के बजाय, जो अच्छा या बुरा है, अद्वितीय पृष्ठभूमि और वातावरण वाले व्यक्तियों के रूप में व्यवहार करना आवश्यक है।**
- **अहमदाबाद में एक प्रमुख व्यवसायी की दुखद मौत ने मीडिया और सार्वजनिक चर्चा में कुत्ते विरोधी भावना को बढ़ा दिया।**
- इसकी शुरुआत इस दावे से हुई कि कुत्तों ने उस पर हमला किया, जिससे वह गिर गया, लेकिन बाद में जानकारी से कुत्तों के प्रति उसके लगाव का पता चला।
- यह घटना भविष्य में इसी तरह के संघर्षों को रोकने के लिए भारत में मानव-कुत्ते की बातचीत की जटिलता को समझने के महत्व को रेखांकित करती है।

एक शोध अध्ययन से निष्कर्ष

PatholAS

- बड़े पैमाने पर हत्या शायद ही कभी प्रभावी होती है और संघर्ष को बदतर बना सकती है, खासकर भारत जैसे जटिल सामाजिक और पारिस्थितिक परिस्थितियों वाले स्थानों में।
- 2019 में नेचर जर्नल में प्रकाशित शोध उन्मूलन प्रयासों के नुकसान पर प्रकाश डालता है, यह सुझाव देता है कि वे **अप्रत्याशित पारिस्थितिक परिवर्तन का कारण बन सकते हैं** ।
- में **, सड़क के कुत्तों के सफल उन्मूलन के कारण लोमड़ियों का कब्ज़ा हो गया** पारिस्थितिकीय क्षेत्र एक बार कुत्तों से भर गए, जिससे नई समस्याएं पैदा हुईं।
- इन स्थानों पर रहने वाले लोमड़ियों और अन्य जानवरों को अब कीट माना जाता है, जिससे बच्चों पर हमलों की चिंता बढ़ जाती है।
- अध्ययन में **कुत्तों से जुड़े विभिन्न मुद्दों, जैसे रेबीज, काटने, सार्वजनिक भोजन और उपद्रव के लिए सामूहिक हत्या जैसे सभी के लिए उपयुक्त एक समाधान के बजाय अनुरूप प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता पर जोर दिया गया है** ।

स्थानीय संदर्भ, प्रासंगिक क्रियाएँ

- मनुष्यों और कुत्तों के बीच जटिल संघर्षों को संबोधित करने के लिए अंतर्निहित चालकों की सूक्ष्म समझ की आवश्यकता होती है।
- सरल समाधानों पर भरोसा करने के बजाय, **हस्तक्षेपों को स्थानीय संदर्भों के अनुरूप बनाया जाना चाहिए** ।
- मुख्य कार्यों में **लोगों के लिए एक्सपोज़र के बाद के उपचार और एंटी-रेबीज टीकाकरण तक पहुंच सुनिश्चित करना शामिल है** ।
- नए आगमन के साथ संघर्ष को रोकने के लिए स्थानीय कुत्तों के स्थानांतरण या निष्कासन को रोकना महत्वपूर्ण है।
- अपने इलाकों में नपुंसक, टीकाकृत और सामाजिककृत स्ट्रीट डॉग आबादी को बनाए रखने से संघर्ष की घटनाओं को कम किया जा सकता है।
- **बेहतर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कचरे के ढेर से जुड़े मुद्दों को नियंत्रित करने में मदद करता है, जो अक्सर संघर्ष के लिए फ्लैशप्वाइंट होते हैं।**
- **सार्वजनिक शिक्षा कार्यक्रम** सह-अस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए वयस्कों और बच्चों दोनों को कुत्तों के साथ सुरक्षित रूप से बातचीत करना सिखाना आवश्यक है।
- शहर और गाँव ऐसे आवास हैं जहाँ विभिन्न प्रजातियाँ सह-अस्तित्व में रहती हैं।
- इस सह-अस्तित्व में हमेशा सद्भाव या प्रभुत्व शामिल नहीं होता है।
- **सुरक्षित रूप से रहने और स्थान साझा करने की अन्य चुनौतियों के साथ-साथ** मानव-कुत्ते संघर्ष को एक नागरिक मुद्दे के रूप में देखा जाना चाहिए ।
- शहरी और ग्रामीण जीवन के व्यापक संदर्भ को ध्यान में रखते हुए, संघर्षों को समग्र तरीके से संबोधित करना आवश्यक है।

पश्चिम बंगाल में पहचान, राज्य का दर्जा और नागरिकता की पहेली (GS PAPER II: नागरिकता)

- 68 वर्षीय सदानंद बिस्वास पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के रहने वाले हैं, लेकिन उन्हें बांग्लादेश के फरीदपुर जिले में अपना बचपन याद है।
- उन्हें याद है कि बांग्लादेश में उनके घर में आग लगा दी गई थी, जिससे उनके परिवार को केवल पीठ पर कपड़ों के साथ भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था।
- सदानंद मटुआ संप्रदाय से हैं, जिसकी स्थापना 19वीं सदी के मध्य में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म को चुनौती देने के लिए बांग्लादेश के ओराकांडी में हरिचंद ठाकुर ने की थी।
- लाखों मतुआ भारत चले आए, जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ।

PrimoticIAS

- बदुरिया में अपने गांव बाघझोला से लगभग 35 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद, बोंगांव के ठाकुरनगर शहर में अखिल भारतीय मटुआ महासंघ कार्यालय के बाहर खड़े हैं ।
- वह वार्षिक मतुआ मेले की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें पिछले साल लगभग 20 लाख लोगों ने भाग लिया था, जहां मतुआ हरिचंद ठाकुर और शांतिदेवी के मंदिर में पूजा करते हैं , पास के तालाब में स्नान करते हैं, और कई दिनों तक धार्मिक जप और गायन में लगे रहते हैं।
- नागरिकता संबंधी दस्तावेज होने के बावजूद सदानंद नागरिकता (संशोधन) नियमों का समर्थन करते हैं।
- **उनका मानना है कि मुसलमानों को भारत में आने से रोकने के लिए ये नियम ज़रूरी हैं.**
- सदानंद बताते हैं कि वह और अन्य लोग उत्पीड़न के कारण बांग्लादेश से भाग गए और नहीं चाहते कि मुसलमान उनके पीछे भारत आएं।

हिंदू या मतुआ?

- हालाँकि वे अपनी पहचान मतुआ के रूप में करते हैं , लेकिन इस बारे में अस्पष्टता है कि वे खुद को हिंदू मानते हैं या मतुआ। मनोज कहते हैं कि वह हरिचंद ठाकुर की शिक्षाओं पर चलने वाले पहले मतुआ हैं।

नागरिकता के लिए आवेदन करना

- नागरिकता (संशोधन) नियम आवेदन प्रक्रिया के लिए आवश्यक दस्तावेजों की रूपरेखा तैयार करते हैं, जिसमें शपथ पत्र और स्थानीय स्तर पर प्रतिष्ठित सामुदायिक संस्थान से पात्रता प्रमाण पत्र शामिल है।
- मनोज फॉर्म भरने की प्रक्रिया को सरल बनाने की आवश्यकता पर जोर देते हैं, खासकर उन व्यक्तियों के लिए जिन्होंने धार्मिक उत्पीड़न का सामना किया है और जिनके पास आवश्यक दस्तावेज नहीं हैं।
- बाघझोला में दशकों से बांग्लादेश के परिवार रह रहे हैं जो गृह मंत्रालय (एमएचए) पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया के बारे में अनिश्चित हैं।

मतुआओं तक पहुंच रहे हैं

- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) नियमों ने पश्चिम बंगाल के राजनीतिक हलकों में बहस और भ्रम पैदा कर दिया है।
- मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चिंता व्यक्त की कि पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने से मतुआ शरणार्थी बन जाएंगे, जिससे उनकी संपत्ति, नौकरियां और बच्चों की शिक्षा खतरे में पड़ जाएगी।
- भाजपा सांसद शांतनु ठाकुर ने सीएए लागू न करने पर हिंदू शरणार्थियों को रोहिंग्या जैसे भाग्य का सामना करने से रोकने के लिए सीएए की आवश्यकता पर जोर दिया।
- मतुआओं के महत्व को पीएम मोदी ने ठाकुरनगर में अपने 2019 अभियान का उद्घाटन करते हुए उजागर किया है ।
- स्थानीय पुजारी सीएए के तहत पात्रता प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं, और कुछ का मानना है कि मटुआ महासंघ के सदस्यता कार्ड पर्याप्त हो सकते हैं।

डर और आशंका

- कृष्णा ठाकुर चिंता व्यक्त करते हैं कि सीएए नागरिकता के मुद्दों को संबोधित करने के बजाय धार्मिक विभाजन को बढ़ा रहा है।
- एक व्यापारी मीर अब्दुल हशम का मानना है कि सीएए मुसलमानों को निशाना बनाता है और इसका उद्देश्य उनमें भय और दहशत पैदा करना है।
- वह पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले नियमों की घोषणा के समय पर सवाल उठाते हैं, जहां मुसलमानों की आबादी 27.01% है।

PatriotIAS

- सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी बिभास चंद्र साहा सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए दस्तावेजों की कमी को लेकर चिंतित हैं।
- साहा ने 1964 में भारत में प्रवेश किया और उन्हें डर है कि उनके दस्तावेज पर्याप्त नहीं होंगे।
- वह दशकों के बाद नागरिकता के लिए आवेदन करने को उत्पीड़न के रूप में देखते हैं और प्रक्रिया के बारे में अनिश्चित हैं।
- साहा जैसे कई लोगों के पास नागरिकता के लिए आवेदन करने या न करने को लेकर स्पष्टता नहीं है और सीएए के खिलाफ राज्य सरकार के रुख के कारण उन्हें भ्रम का सामना करना पड़ता है।
- नागरिकता आवेदनों में सहायता के लिए कोई बुनियादी ढांचा नहीं होने के कारण, लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही भ्रम की स्थिति बनी रहती है।

भारत की सबसे बड़ी जेलब्रेक के बाद (GS PAPER III: आंतरिक सुरक्षा)

- 56 वर्षीय अजय कानू बिहार के पटना में साधारण कपड़े पहने हुए एक साधारण मध्यमवर्गीय व्यक्ति की तरह दिखते हैं।
- अपनी साधारण उपस्थिति के बावजूद, **कानू ने 18 साल जेल में बिताए और एक समय वह एक प्रमुख नक्सली कमांडर थे, जिन पर 50 हत्या के मामलों का आरोप था** ।
- 2005 में, कानू ने जहानाबाद जेल ब्रेक की साजिश रची, जिसके परिणामस्वरूप माओवादियों और अपराधियों सहित 389 कैदी भाग गए, जिससे मौतें हुईं और चोटें आईं।
- जहानाबाद जेल में अत्यधिक भीड़ थी, आधिकारिक क्षमता 140 की थी लेकिन रहने की जगह 659 कैदी थे ।
- जहानाबाद , गया, औरंगाबाद, भोजपुर और अरवल जैसे जिलों सहित मध्य बिहार को जातीय नरसंहार और समझौता सुरक्षा के कारण कानून और व्यवस्था की चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
- बिहार में नक्सलियों ने गुरिल्ला युद्ध रणनीति अपनाई, जिसमें पुलिस वाहनों पर हमला करना और निजी कंपनियों से पैसे वसूलना शामिल था।
- 2000 के दशक के अंत तक, नक्सलियों ने अपना अभियान पड़ोसी झारखंड जिलों में स्थानांतरित कर दिया।
- **2005 में, बिहार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ सभी अपराधों में से 13.4% मामले दर्ज किए गए, शहरों में हत्या, डकैती और डकैती के सबसे अधिक मामले पटना में दर्ज किए गए** ।

बाहर तोड़

- बिहार के जहानाबाद में जेल के पास पहला बम विस्फोट हुआ , जो माओवादी हमले की शुरुआत का संकेत था ।
- लगभग 1,000 सशस्त्र माओवादियों ने जेल को दो घंटे से अधिक समय तक घेरे रखा और बम, गोलियों और बारूदी सुरंगों का इस्तेमाल कर अराजकता पैदा की।
- कानू को याद है कि हमले के दौरान जेल खोल दी गई थी, जिससे कैदियों को, जिनमें वह भी शामिल था, स्वतंत्र रूप से बाहर निकलने की इजाजत मिल गई थी।
- **कथित तौर पर कनु ने ऊंची जाति के मिलिशिया समूह रणवीर सेना के दो कमांडरों को मारने के लिए एके-47 का इस्तेमाल किया था** ।

रणवीर सेना ,

- **गठन**: 1994 में बिहार के भोजपुर जिले के बेलाउर गांव में उच्च जाति के भूमिहार जमींदारों द्वारा स्थापित।

Patriots IAS

- **विचारधारा:** वामपंथ विरोधी, दलित विरोधी, मौजूदा जाति पदानुक्रम और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने पर केंद्रित।
- **संचालन का तरीका:** एक निजी मिलिशिया के रूप में कार्य करना, हाशिए पर रहने वाले समुदायों और उनके कथित समर्थकों के खिलाफ हिंसा के कृत्यों को अंजाम देना।
- **प्रमुख नरसंहार:** बथानी टोला (1996), लक्ष्मणपुर बाथे (1997), शंकर बिगहा (1999), और कई अन्य जिसके परिणामस्वरूप सैकड़ों मौतें हुईं।
- **प्रतिबंधित:** एक आतंकवादी संगठन घोषित किया गया और 1995 में बिहार सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया।

वर्तमान स्थिति

- **बड़े पैमाने पर अभियानों में कमी:** 1990 के दशक की तरह बड़े पैमाने पर नरसंहार करने की रणवीर सेना की क्षमता राज्य की कार्रवाई, नेताओं की गिरफ्तारी और गुटबाजी के कारण काफी कम हो गई है।
- **स्थानीय हिंसा की संभावना:** चिंताएँ बनी हुई हैं कि समूह या अलग हुए गुटों के अवशेष अभी भी स्थानीय हिंसा और धमकी में शामिल हो सकते हैं, विशेष रूप से भूमि विवादों और जाति तनाव से संबंधित। समाचार रिपोर्टें कभी-कभी छिटपुट घटनाओं को रणवीर सेना के नाम से जोड़ देती हैं।
- **सामाजिक-आर्थिक संदर्भ:** बिहार में भूमि अधिकार, जाति उत्पीड़न और संसाधनों तक पहुंच पर अंतर्निहित संघर्ष पूरी तरह से हल नहीं हुए हैं। यह सामाजिक माहौल रणवीर सेना जैसे समूहों की कुछ निरंतरता या पुनरुत्थान को बढ़ावा दे सकता है, भले ही कम संगठित रूप में हो।

- कनु का मानना है कि अपने कैडर को मुक्त कराना क्रांतिकारियों का कर्तव्य है, भले ही इसके लिए जेल पर हमला करना पड़े।

प्रारंभिक वर्ष

- कानू बिहार के अरवल जिले के चौहार गांव से हैं , जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) श्रेणी से आते हैं, जो बिहार की आबादी का 36.01% है।
- **उनका लक्ष्य इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाली 110 जातियों के विकास के लिए काम करना है** ।
- कनु ने अपने बच्चों की शिक्षा के लिए अपनी कृषि भूमि का कुछ हिस्सा बेच दिया। उनका बेटा एक पॉलिटेक्निक में प्रौद्योगिकी से संबंधित पाठ्यक्रम की पढ़ाई कर रहा है, जबकि उनकी बेटी नर्स बनने की इच्छा रखती है।
- जेल ब्रेक के बाद पुलिस ने गांव में कानू का घर तोड़ दिया. अब वह अपनी पत्नी शारदा देवी के साथ पटना के बाहरी इलाके में एक साधारण घर में रहते हैं।
- कनु के पिता फागु प्रसाद ने भगत सिंह, माओ त्से -तुंग, चे ग्वेरा और रूसी क्रांति के बारे में कहानियाँ साझा करके अपनी वामपंथी विचारधारा को प्रभावित किया।
- **जहानाबाद के स्वामी सहजानंद कॉलेज से इतिहास में स्नातक , कनु ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और शुरुआत में एबीवीपी (आरएसएस की छात्र शाखा) के साथ छात्र राजनीति में शामिल थे** ।
- कथित विभाजनकारी राजनीति के कारण उनका दक्षिणपंथी विचारधारा से मोहभंग हो गया।

माओवाद की यात्रा

- कानू को व्यक्तिगत त्रासदियों का सामना करना पड़ा, जिसमें अलग-अलग विवादों में उसके भाई, चचेरे भाई और पिता की हत्याएं शामिल थीं, जिसके कारण वह भूमिगत माओवादी बैठकों में शामिल हो गया।
- उनके पिता की मृत्यु ने उन्हें माओवादी विचारधारा की ओर धकेल दिया, वे व्यक्तियों की मृत्यु के बावजूद विचारों के लचीलेपन में विश्वास करते थे।

Patriotic

- विचारधारा की समझ, शारीरिक कौशल और हथियारों के बारे में सीखने की क्षमता के कारण कानू जल्द ही माओवादी रैंकों में आगे बढ़ गए।
- वह माओवादियों की केंद्रीय समिति का सदस्य और बाद में एक एरिया कमांडर बन गया, जो आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में सक्रिय था।
- **कानू की लड़ाई उत्पीड़कों, विशेषकर जमींदारों और ज़मींदारों के खिलाफ थी, जबकि माओवादियों ने रणवीर सेना के विपरीत सक्षम लोगों को निशाना बनाया, जो किसी को नहीं बख्शते थे।**
- पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए ₹3 लाख के इनाम की घोषणा की और अंततः उसे 28 अगस्त 2002 को पटना के बेली रोड से गिरफ्तार कर लिया गया ।
- कनु का दावा है कि पुलिस ने उन्हें 24 घंटे तक प्रताड़ित किया और बाद में जहानाबाद जेल में स्थानांतरित कर दिया।
- **जेल में, उन्होंने साथी कैदियों को संगठित किया, बेहतर रहने की स्थिति, भोजन की मांग की और जेल अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई, जिससे कैदियों और अधिकारियों दोनों से सम्मान और भय अर्जित हुआ।**
- **कानू ने अपनी मांगों पर दबाव बनाने के लिए भूख हड़ताल की, जिसके परिणामस्वरूप कैदियों के लिए बेहतर भोजन, रहने की स्थिति, टेलीफोन, टेलीविजन और चिकित्सा देखभाल जैसी बेहतर सुविधाएं प्राप्त हुईं** ।

जेलब्रेक से पहले और बाद में

- अपनी रिहाई के बावजूद, कनु अभी भी गुस्सा व्यक्त करता है और अन्याय की खबर सुनकर सशस्त्र संघर्ष में लौटने के बारे में सोचता है।
- **जहानाबाद - ऑफ लव एंड वॉर" नामक एक वेब श्रृंखला में रूपांतरित किया गया था , लेकिन उन्हें अंतिम उत्पाद असंतोषजनक लगा** ।
- हालाँकि प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा संपर्क किए जाने के बावजूद, कनु को राजनीति में शामिल होने में कोई दिलचस्पी नहीं है और इसके बजाय वह शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं।
- वह वर्तमान में एक छोटे-समय के ठेकेदार के रूप में काम करता है और अपने कोचिंग संस्थान को फिर से खोलने की योजना बना रहा है, जिसका लक्ष्य शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना और अपने अतीत को पीछे छोड़ना है।

कुट्टनाड आर्द्रभूमि में जल संकट (GS PAPER III: आपदा प्रबंधन)

- क्षेत्र में नहरों और झीलों का पानी उपभोग के लिए अनुपयुक्त है, जिससे निवासियों को दूर के स्रोतों से पीने का पानी खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
- **अनियमित सार्वजनिक जल आपूर्ति के कारण निवासी पीने का पानी खरीदने पर प्रति माह ₹1,000 से ₹3,000 के बीच काफी धनराशि खर्च करते हैं।**
- सड़क के किनारे प्लास्टिक की पानी की टंकियाँ पानी की कमी की गंभीरता को दर्शाती हैं।
- **कुट्टनाड की आर्द्रभूमि प्रणाली, जो समुद्र तल से नीचे धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है , को मौसम के बदलते मिजाज और समुद्र से खारे पानी की घुसपैठ से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है** ।
- मौसम के मिजाज में उतार-चढ़ाव और सूखा क्षेत्र में जल प्रदूषण और उच्च लवणता के कारण होने वाली पेयजल समस्या को बढ़ा देता है।

पानी का इंतजार कर रहे हैं

PatheticIAS

- कुट्टनाड में , देशी नावें और माल वाहक **वेम्बनाड झील के पार पानी पहुँचाते हैं** पानी की कमी के कारण.
- पैकेज्ड पेयजल की अत्यधिक मांग है, जैसा कि मैनकोम्बु गांव में होटल दीपस में देखा गया है।
- कुट्टनाड तालुक में तालाबों, कुओं और वर्षा जल संचयन गड्ढों जैसे कई जल स्रोतों को नष्ट कर दिया।
- बार-बार आने वाली बाढ़ से स्थिति और खराब हो जाती है, जिससे उपयोग योग्य जल स्रोतों की कमी हो जाती है।
- **कुट्टनाड में प्रतिवर्ष पर्याप्त वर्षा होती है, फिर भी अपर्याप्त गुणवत्ता वाले जल स्रोतों और खराब अपशिष्ट प्रबंधन के कारण पानी की कमी का सामना करना पड़ता है।**
- थॉमस **संकट से निपटने के लिए प्राकृतिक जल निकायों को पुनर्जीवित करने और पीने और अन्य उद्देश्यों के लिए अलग-अलग स्रोतों के साथ दोहरी जल आपूर्ति प्रणाली लागू करने का सुझाव देते हैं** ।

लोग प्यासे हो गये

- कोट्टायम और पथानामथिट्टा के ऊपरी कुट्टनाड में , गर्मियों के मध्य में पानी की कमी के दृश्य असामान्य हैं लेकिन तेजी से प्रचलित हैं।
- प्रसाद, जो एक फुटब्रिज के पास एक छोटी सी दुकान चलाते हैं, कहते हैं कि हाल की गर्मी ने स्थिति और खराब कर दी है।

कृषि पर भार

- कुट्टनाड में मछली पकड़ने, कृषि, पशुधन और ताड़ी निकालने सहित स्थानीय अर्थव्यवस्था सूखे से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है।
- कुट्टनाड में समुद्र स्तर से नीचे खेती के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र के निदेशक केजी पद्मकुमार कहते हैं कि वेम्बनाड झील में जल स्तर गिरना कुओं के विफल होने का प्रारंभिक संकेत है।
- जल संकट को दूर करने के लिए विशेषज्ञ व्यापक वर्षा जल संचयन प्रणालियों की सलाह देते हैं। एमएसएसआरएफ और एटीआरईई जैसे संगठनों ने इस क्षेत्र में सैकड़ों इकाइयां स्थापित की हैं, जिससे कई परिवारों को लाभ हुआ है।
- वर्षा जल संचयन प्रणालियों को कुट्टनाड के परिदृश्य के लिए आदर्श, बनाए रखने में आसान और बाढ़ के दौरान सहायक के रूप में देखा जाता है।

GeM कार्य अनुबंध की पेशकश कर सकता है' (GS PAPER III: डिजिटल मार्केट)

- सरकारी **ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है जिसका उपयोग वस्तुओं और सेवाओं की सार्वजनिक खरीद के लिए किया जाता है ।**
- GeM का इरादा निर्माण और निर्माण परियोजनाओं के लिए कार्य अनुबंधों को मंच के माध्यम से बोली लगाने में सक्षम बनाने के लिए केंद्र से मंजूरी लेने का है।
- लक्ष्य ऐसे अनुबंधों की प्रगति का आकलन करने के लिए एक पारदर्शी निगरानी तंत्र स्थापित करना है।
- GeM प्लेटफ़ॉर्म के व्यापक रीबूट का हिस्सा है , जो वर्तमान में महत्वपूर्ण रक्षा खरीद, विमान चार्टरिंग जैसी सेवाओं और चुनाव-संबंधी सामग्री की छपाई की सुविधा प्रदान करता है।
- GeM के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीके सिंह ने योजनाबद्ध उन्नयन की घोषणा की, जिसमें ऑनलाइन इंटरफ़ेस को नया रूप देना शामिल है।
- संशोधित इंटरफ़ेस एक खुले एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस (एपीआई) आर्किटेक्चर को अपनाएगा।

PatriotiCIAS

- यह एपीआई आर्किटेक्चर व्यक्तिगत विभागों, राज्यों और स्थानीय निकायों को अनुकूलित सूक्ष्म-खरीद पोर्टल बनाने में सक्षम करेगा।
- इन पोर्टलों में स्थानीय नियमों और विनियमों को समायोजित करने के लिए बहुभाषी इंटरफेस और लचीलेपन होंगे।
- भारतीय स्टेट बैंक से लगभग ₹400 करोड़ मूल्य का एक सेवा खरीद ऑर्डर GeM प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से दिया गया था।
- GeM के माध्यम से की गई खरीद के कुल सकल व्यापारिक मूल्य को ₹4 लाख करोड़ से अधिक बढ़ाने में मदद की।
- यह राशि पिछले वित्तीय वर्ष में दर्ज मूल्य से दोगुनी है, जो 2022-23 में ₹2.01 लाख करोड़ थी।
- GeM के सीईओ, श्री सिंह ने समय लेने वाली प्रक्रियाओं और देरी का हवाला देते हुए, कार्य अनुबंधों के लिए निविदा प्रक्रिया में चुनौतियों पर प्रकाश डाला।
- वर्तमान में, निविदा प्रक्रियाएं अक्सर केवल स्थानीय ठेकेदारों को आकर्षित करती हैं और निष्पादन में देरी का सामना करना पड़ता है।
- यदि ऐसी परियोजनाओं के लिए GeM की अनुमति है, तो भारत के किसी भी हिस्से से ठेकेदार देश के किसी भी अन्य हिस्से में काम के लिए बोली लगा सकते हैं।
- परियोजनाओं की प्रगति की ऑनलाइन निगरानी की जा सकती है, और मील के पत्थर से जुड़े भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किए जा सकते हैं।
- यह सुव्यवस्थित प्रक्रिया ठेकेदारों को भुगतान के लिए अधिकारियों के पीछे भागने की आवश्यकता से बचाती है और इसमें अनुबंध के बाद प्रबंधन सुविधाओं को शामिल किया जा सकता है।

PatriotiCAS

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1: भारत में राजकोषीय घाटे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह सरकार के कुल राजस्व और उसके पूंजीगत व्यय के बीच का अंतर है।
2. उच्च राजकोषीय घाटा मुद्रास्फीतिकारी दबाव को जन्म दे सकता है।
3. राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 2025 तक राजकोषीय घाटे को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित करता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा गलत है?

a. केवल 1 और 2
b. केवल 2 और 3
c.केवल 1 और 3
d. उपरोक्त सभी

प्रश्न 2: राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?

a. यह सरकार को राजकोषीय मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का आदेश देता है।
b. यह सरकार के राजस्व घाटे को कम करने का लक्ष्य निर्धारित करता है।
c. यह सरकार को अपने व्यय को पूरा करने के लिए असीमित धन उधार लेने की अनुमति देता है।

d.यह असाधारण परिस्थितियों में बचने की धारा प्रदान करता है।

प्रश्न 3: प्राथमिक कानून जिसके तहत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) की स्थापना की गई है:

a. विमान (संशोधन) अधिनियम, 2020
b. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994
c.नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो अधिनियम, 1984
d.विमान अधिनियम, 1934

प्रश्न 4: निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियाँ नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के नियामक दायरे में नहीं आती हैं?

a. पायलटों को लाइसेंस जारी करना
b. विमान दुर्घटनाओं की जांच करना
c.हवाई यातायात नियंत्रण मानकों की स्थापना
d.घरेलू एयरलाइनों के किराए को विनियमित करना

प्रश्न 5: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) का मुख्यालय स्थित है:

a. मुंबई
b. कोलकाता
c.बेंगलुरु
d.नई दिल्ली

प्रश्न 6: विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. एनजीओ के लिए एफसीआरए पंजीकरण हर दस साल में नवीनीकृत किया जाना चाहिए।
2. जब तक उनका एफसीआरए नवीनीकरण आवेदन लंबित है, गैर सरकारी संगठन कोई विदेशी धन प्राप्त नहीं कर सकते।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

a. केवल 1
b. केवल 2
c.1 और 2 दोनों
d.न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 7: विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) के संदर्भ में, निम्नलिखित पर विचार करें:

1. गृह मंत्रालय गैर सरकारी संगठनों को एफसीआरए पंजीकरण देने और नवीनीकृत करने के लिए जिम्मेदार है।
2. यदि एनजीओ राष्ट्रीय हित के खिलाफ काम करता पाया गया तो एफसीआरए पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

a. केवल 1
b. केवल 2
c.1 और 2 दोनों
d.न तो 1 और न ही 2

PatriotiCIAS

प्रश्न 1: भारत में राजकोषीय घाटे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 4. यह सरकार के कुल राजस्व और उसके पूंजीगत व्यय के बीच का अंतर है। 5. उच्च राजकोषीय घाटा मुद्रास्फीतिकारी दबाव को जन्म दे सकता है। 6. राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 2025 तक राजकोषीय घाटे को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा गलत है? a. केवल 1 और 2 b. केवल 2 और 3 c.केवल 1 और 3 (D। उपरोक्त सभी	उत्तर: c.केवल 1 और 3 स्पष्टीकरण: कथन 1: ग़लत. राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और कुल राजस्व (उधार को छोड़कर) के बीच का अंतर है। इसमें पूंजीगत और राजस्व व्यय दोनों शामिल हैं। कथन 2: सही है। उच्च राजकोषीय घाटे से सरकारी उधारी बढ़ सकती है, जिसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति बढ़ सकती है और मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। कथन 3: ग़लत. एफआरबीएम अधिनियम का लक्ष्य राजकोषीय घाटे को धीरे-धीरे कम करना है, न कि इसे पूरी तरह खत्म करना। अधिनियम में हालिया संशोधन ने सकल घरेलू उत्पाद के 3% के राजकोषीय घाटे को प्राप्त करने के लक्ष्य को 2029-30 तक बढ़ा दिया है। प्रश्न 2
प्रश्न 2: राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? a. यह सरकार को राजकोषीय मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का आदेश देता है। b. यह सरकार के राजस्व घाटे को कम करने का लक्ष्य निर्धारित करता है। c.यह सरकार को अपने व्यय को पूरा करने के लिए असीमित धन उधार लेने की अनुमति देता है। d.यह असाधारण परिस्थितियों में बचने की धारा प्रदान करता है।	उत्तर: c.यह सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए असीमित धन उधार लेने की अनुमति देता है। स्पष्टीकरण: एफआरबीएम अधिनियम का उद्देश्य जिम्मेदार राजकोषीय प्रबंधन को बढ़ावा देना और उधार लेने पर सरकार की निर्भरता को कम करना है। अधिनियम राजकोषीय घाटे और राजस्व घाटे दोनों को कम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है। अधिनियम राष्ट्रीय सुरक्षा, युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं आदि जैसी असाधारण परिस्थितियों में लक्ष्य से विचलन की अनुमति देता है, लेकिन इन विचलनों को समझाने और उचित ठहराने की आवश्यकता है।
प्रश्न 3: प्राथमिक कानून जिसके तहत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) की स्थापना की गई है: a. विमान (संशोधन) अधिनियम, 2020	उत्तर: d.विमान अधिनियम, 1934 स्पष्टीकरण: विमान अधिनियम, 1934 वह संस्थापक कानून है जिसने डीजीसीए की स्थापना की।

PatriotIAS

b. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 c.नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो अधिनियम, 1984 d.विमान अधिनियम, 1934	
प्रश्न 4: निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियाँ नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के नियामक दायरे में नहीं आती हैं? a. पायलटों को लाइसेंस जारी करना b. विमान दुर्घटनाओं की जांच करना c.हवाई यातायात नियंत्रण मानकों की स्थापना d.घरेलू एयरलाइनों के किराए को विनियमित करना	उत्तर: d.घरेलू एयरलाइनों के किराए को विनियमित करना स्पष्टीकरण: जबकि डीजीसीए विमानन विनियमन में एक बड़ी भूमिका निभाता है, हवाई किराया निर्धारित करना उनकी ज़िम्मेदारियों में नहीं आता है। ऐसी कोई एक इकाई नहीं है जो घरेलू एयरलाइनों के किरायों को सीधे नियंत्रित करती हो। इसके बजाय, एयरलाइन मूल्य निर्धारण कुछ सरकारी प्रभाव के साथ व्यापक रूप से मुक्त-बाज़ार प्रणाली के भीतर संचालित होता है। यहाँ विवरण है: **भारत में एयरलाइन किराया कैसे काम करता है** • **गतिशील मूल्य निर्धारण:** एयरलाइंस मुख्य रूप से गतिशील मूल्य निर्धारण मॉडल का उपयोग करती हैं, जहां मांग, बुकिंग का समय, मार्ग की लोकप्रियता और प्रतिस्पर्धा जैसे कारकों के आधार पर किराए में उतार-चढ़ाव होता है। • **मूल्य बैंड (किराया सीमा):** नागरिक उड्डयन मंत्रालय समय-समय पर अस्थायी मूल्य बैंड पेश कर सकता है। ये एक न्यूनतम और अधिकतम सीमा स्थापित करते हैं जिसके भीतर एयरलाइंस को अपना किराया निर्धारित करना होगा। यह हस्तक्षेप अक्सर उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए ईंधन की कीमतों में अचानक वृद्धि जैसी असाधारण परिस्थितियों की प्रतिक्रिया में किया जाता है । **कोई प्रत्यक्ष नियामक क्यों नहीं?** • **बाज़ार-संचालित दृष्टिकोण:** भारत के विमानन क्षेत्र को उत्तरोत्तर नियंत्रणमुक्त किया गया है। इसका मतलब प्रतिस्पर्धा और दक्षता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मूल्य निर्धारित करने के लिए बाजार की ताकतों पर अधिक निर्भरता है। • **उपभोक्ता संरक्षण:** प्रत्यक्ष नियामक न होते हुए भी, सरकार प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं या अनुचित मूल्य वृद्धि के लिए किरायों की निगरानी करती है। यदि एयरलाइनों पर कीमतों में गलत तरीके से हेरफेर करने का संदेह है तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग हस्तक्षेप कर सकता है।
प्रश्न 5: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) का मुख्यालय स्थित है: a. मुंबई b. कोलकाता c.बेंगलुरु d.नई दिल्ली	उत्तर: d.नई दिल्ली स्पष्टीकरण: DGCA का मुख्यालय नई दिल्ली, भारत में स्थित है।

PatriotIAS

प्रश्न 6: विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 3. एनजीओ के लिए एफसीआरए पंजीकरण हर दस साल में नवीनीकृत किया जाना चाहिए। 4. जब तक उनका एफसीआरए नवीनीकरण आवेदन लंबित है, गैर सरकारी संगठन कोई विदेशी धन प्राप्त नहीं कर सकते। उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं? a. केवल 1 b. केवल 2 c.1 और 2 दोनों d.न तो 1 और न ही 2	उत्तर: d.न तो 1 और न ही 2 कथन 1 गलत है: एफसीआरए पंजीकरण पांच साल के लिए वैध है और नवीनीकरण की आवश्यकता है। कथन 2 गलत है: लंबित नवीनीकरण आवेदन वाले गैर सरकारी संगठनों को आम तौर पर अंतरिम अवधि के दौरान विदेशी धन प्राप्त करना जारी रखने की अनुमति दी जाती है।
प्रश्न 7: विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) के संदर्भ में, निम्नलिखित पर विचार करें: 3. गृह मंत्रालय गैर सरकारी संगठनों को एफसीआरए पंजीकरण देने और नवीनीकृत करने के लिए जिम्मेदार है। 4. यदि एनजीओ राष्ट्रीय हित के खिलाफ काम करता पाया गया तो एफसीआरए पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं? a. केवल 1 b. केवल 2 c.1 और 2 दोनों d.न तो 1 और न ही 2	

PatrioticIAS